रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1976/वैशाख 25, 1898
No. 229] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1976 /VAISAKHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY
(Department of Power)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May 1976

S.O. 349(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 80 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby transfers, with effect from the 15th May, 1976, the components of the Beas Project, namely, Bhatinda—Sangrur 220 kV transmission line and new Panipat Sub-station, in relation to which the construction has been completed, to the Bhakra Management Board constituted under section 79 of the said Act.

[No. F. 21/14/76-B&B]

ऊर्जा मंत्रालय
(विद्युत विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 1976

का० आ० 349 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (5) का अनुसरण करते हुए, व्यास परियोजना के संघटकों,

अर्थात् भटिण्डा-संगरूर 220 के० वी० संचरण लाइन और नए पानीपत सब-स्टेशन को, जिनके संबंध में निर्माण पूरा हो गया है, 15 मई, 1976 से, उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन गठित भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड को अन्तरित करती है ।

[सं० फा० 21/14/76-बी एण्ड बी]

S.O. 350(E).—Whereas the components of the Beas Project namely, Bhatinda-Sangrur 220 kV transmission line and new Panipat Sub-station, have been transferred to the Bhakra Management Board by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Power) No. S.O. 349(E) dated the 15th May, 1976.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79, read with sub-section (6) of section 80, of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes, with effect from the 15th May, 1976 the following amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Irrigation and power No. S.O. 3506, dated the 1st October, 1967, namely:—

In the said notification, for the words "the Bhakra Management Board", the words "the Bhakra Beas Management Board" shall be substituted.

[No. F. 21/14/76-B&B]

R. C. BHARGAVA, Jt. Secy.

का० आ० 350 (अ). —व्यास परियोजना के संघटकों, अर्थात् भटिन्डा-संगरूर 220 के० वी० संचरण लाइन और नए पानीपत सब-स्टेशन को, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 349(अ), तारीख 15 मई, 1976 द्वारा भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड को अन्तरित कर दिया गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मई, 1976 से, भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3506, तारीख 1 अक्तूबर, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "भाखड़ा-व्यास प्रबंधक बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० फा० 21/14/76-बी एण्ड बी]

आर० सी० भार्गव, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976